राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या–315/2015/जयपुर
2.अपील संख्या–316/2015/जयपुर
3.अपील संख्या–317/2015/जयपुर
4.अपील संख्या–318/2015/जयपुर
5.अपील संख्या–319/2015/जयपुर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान
वृत–द्वितीय, जयपुर ..अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड
जयपुर प्रत्यर्थी

6.क्रास आब्जेक्शन संख्या–721/2015/जयपुर
7.क्रास आब्जेक्शन संख्या–722/2015/जयपुर
8.क्रास आब्जेक्शन संख्या–723/2015/जयपुर
9.क्रास आब्जेक्शन संख्या–724/2015/जयपुर
10.क्रास आब्जेक्शन संख्या–725/2015/जयपुर
मैसर्स स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड
जयपुर अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान
वृत–द्वितीय, जयपुर प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी विभाग की ओर से
श्री डी.कुमार,
अभिभाषक व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक :13.06.2017

निर्णय

उपरोक्त दसों प्रकरणों में से प्रथम पांच अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से एवं द्वितीय पांच क्रास आब्जेक्शन व्यवहारी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 04 व 08/अ.प्रा–।।/ सीएसटी/जयपुर/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2014 के विरूद्ध पेश किये गये हैं।

चूँकि सभी प्रकरणों में निर्णय हेतु बिन्दु एक समान तथा एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। इस निर्णय की प्रति सभी पत्रावलियों में पृथक–पृथक रूप से रखी जा रही हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002–एवं 2002–2003 के कर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 (2) सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 (जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 34 एवं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 100 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित कर कर, ब्याज एवं शास्तियॉ आरोपित की गई। उक्त प्रकार से आरोपित कर,ब्याज एवं शास्तियों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2007 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण जांच करते हुए प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट एवं आख्यापरक आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रथम पांचों अपीलें विभाग की ओर से तथा पांच क्रास आब्जेक्शन व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं।

व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2014 के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रथम पांचो (अपीलें) प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिनकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 एवं 2002–2003 के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.09.2016 को पारित कर दिये गये हैं (कर निर्धारण आदेशों की प्रतियॉ कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों में संलग्न है), इसलिए जिन आदेशों के विरूद्ध उपरोक्त अपीलें व क्रास आब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं, वे अपीलें व क्रास आब्जेक्शन्स सारहीन (Infructuous) हो जाने से अस्वीकार योग्य हैं।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.08.2014 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये थे। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 1998–1999,

1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 एवं 2002–2003 के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.09.2016 को पारित किये जा चुके हैं, जिनकी प्रतियॉ कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों पर उपलब्ध हैं।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेशों के विरूद्ध विचाराधीन अपीलें व क्रास आब्जेक्शन्स चलने योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59,** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व एवं व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत पांचों अपीलें एवं पांचों क्रास आब्जेक्शन्स सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष